SHG ऋण पर 50 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना –

वर्ष 2010–11 में स्वयं सहायता समूहो के बैंक ऋणों पर 50 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना प्रारंभ की गई। योजना में निहित प्रावधानों के अनुसार योग्य * पाये जाने वाले महिला स्वयं सहायता समूहों को 1 जुलाई 2010 के पश्चात् उनके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले ऋण पर राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। समूहों को अपने संपूर्ण जीवनकाल में यह लाभ एक बार ही प्राप्त होगा। वर्षवार प्रगति निम्नानुसार है–

राशि लाख रूपये में

क्र. सं.	राज्य स्तरीय नोड़ल बैंक का नाम	वर्ष								योग	
		2010–11		2011–12		2012–13		2013–14 (सितम्बर 2013 तक)		लाभान्वित समूहों संख्या	अनुदान राशि लाख में
		समूह संख्या	अनुदान राशि	समूह संख्या	अनुदान राशि	समूह संख्या	अनुदान राशि	समूहों की संख्या	अनुदान राशि		
1.	स्टेट बैंक बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सचिवालय	1816	7.67	8164	42.60	9314	54.03	12325	75.20	31619	174.50
2.	दी राजस्थान स्टेट कॉपरेटिव बैंक लि0. जयपुर	5808	48.09	6052	110.87	2649	35.77	14876	53.97	29385	258.70
	कुल योग	7624	55.76	14216	153.47	11963	89.80	27201	129.17	61004	433.20

*** समूह की पात्रता–** 1 जुलाई 2010 के पश्चात् बैंक ऋण प्राप्त करने वाले समस्त ग़ैर अनुदानित महिला स्वयं सहायता समूह जो नियमित रूप से किश्तों का भुगतान करते हैं वे 50,000 रुपये की ऋण सीमा तक 50 प्रतिशत ब्याज़ अनुदान योजना में लाभान्वित होने के पात्र होंगे।

महिला स्वयं सहायता समूहों के लिये रूपये 10,000/– की एक मुश्त अनुदान योजना

वर्ष 2013–14 के अन्तर्गत स्वरोजगार हेतु ऋण लेने वाले स्वयं सहायता समूहों के लिये वर्तमान संचालित 50 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना को और प्रभावी बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा पात्र समूहों * को ऋण के साथ रूपये10,000/– का एक मुश्त अनुदान दिया जा रहा है। योजना केवल एक वर्ष (वर्ष 2013–14) हेतु है।

इस हेतु राज्यस्तरीय नोडल बैंको क्रमशः स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की कोषालय शाखा एवं अपेक्स बैंक को 2 – 2 करोड़ की राशि हस्तांतरित कर दी गई है। अपेक्स बैंक एवं स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रगति निम्नानुसार है :–

बैंक का नाम	प्राप्त दावों की संख्या	राशि
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	273	2730000.00
अपेक्स बैंक	914	9140000.00
योग	**1187**	**11870000.00**

*** समूह की पात्रता–** ऐसे समस्त महिला स्वयं सहायता समूह जो बैंकऋण पर 50 प्रतिशत अनुदान योजना की पात्रता रखते है तथा उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंक/ग्रामीण बैंक/सहकारी बैंक के द्वारा स्वरोजगार हेतु 25,000 या उससे अधिक का बैंक ऋण स्वीकृत किया गया हो वे समस्त समूह बैंक ऋण के साथ एक मुश्त अनुदान राशि रूपये 10,000 प्राप्त करने के पात्र होंगे। यह लाभ उन्हें उनके जीवनकाल में एकबार ही प्राप्त होगा।

अमृता सोसायटी

महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के विपणन के अवसर उपलब्ध करवाकर उन्हें स्थायी रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से अमृता सोसायटी का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत पंजीकरण करवाया गया है। अब तक 3504 स्वयं सहायता समूहों को अमृता सोसायटी की सदस्यता दी जा चुकी है।

SHG उत्पादों को सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के तहत विशेष छूट –

वित्त विभाग के आदेशानुसार सरकारी विभागों द्वारा बिना निविदा प्रणाली अपनाये सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग– 2 के नियम 30 के अंतर्गत ''अमृता सोसायटी'', राजस्थान, जयपुर के माध्यम से निर्धारित सामग्री अर्थात् स्टेशनरी, केटरिंग स्टोर अंतर्गत उल्लेखित खाद्य सामग्री व यूनिफॉर्म हेतु कपड़े का का क्रय नियमानुसार किया जा सकता है।

अमृता हाट

महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित उत्पादों को लोकप्रिय तथा सर्वव्यापी बनाने के लिए वर्ष 2004–05 से राज्य स्तर पर स्वयं सहायता समूह हाट बाजार आयोजित किया जा रहा है। विभाग द्वारा वर्ष में दो बार अमृता हाट का आयोजन किया जाता है। इनमें राजस्थान के अतिरिक्त अन्य राज्यों के स्वयं सहायता समूह भी भाग लेते है। वर्ष 2012–13 में एक अमृता हाट का आयोजन राज्य के बाहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित महत्वपूर्ण विपणन केन्द्र के रूप में विख्यात **''दिल्ली हाट''** में किया गया। दो अमृता मेलों का आयोजन दिल्ली हाट में किया जा चुका है। विभागीय मेलों के अतिरिक्त अन्य विभागीय/राज्यों द्वारा आयोजित मेलों(Rural Non-farm Development Agency, India International Trade Fair etc.) में भी राज्य से समूहों को भेजा जाता है।

योजनान्तर्गत बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति :–
राशि लाखों में

योजना का नाम	वर्ष 2011–12		वर्ष 2012–13		वर्ष 2013–14	
	बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट	व्यय
हाट बाजार एवं अन्य मेले	40.00	39.82	35.00	23.47	50.00	46.15

प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह योजना'

वर्ष 2009–10 में स्वयं सहायता समूहों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रियदर्शिनी योजना प्रारंभ की गई । योजनान्तर्गत प्रत्येक जिले में 10 श्रेष्ठ स्वयं सहायता समूहों का चिह्नीकरण कर उन्हें विभाग द्वारा चयनित गैर सरकारी संगठनों (NGO's)के माध्यम से आमुखीकरण एवं प्रबन्धकीय क्षमतावर्धन प्रशिक्षण दिलाये जाते है इसके पश्चात् उन्हे स्थानीय आवश्यकता एवं विपणन सम्भावना अनुसार आयसृजक प्रशिक्षण दिलवाकर स्वरोजगार से जोड़ा जाता है।

यह योजना स्वयं सेवी संगठनों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। योजना अंतर्गत प्रत्येक जिले में चिह्नित 10 SHGs को चयनित NGO के माध्यम से विभाग द्वारा निर्धारित सूचकों को प्राप्त करने की स्थिति में समूहों को प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह घोषित किया जाता है। इन सूचकों में समूह की नियमित मासिक बैठक, उनमें बचत–ऋण के साथ–साथ सामाजिक मुददों पर चर्चा, नियमित रिकार्ड संधारण, नियमित बचत, नियमित आंतरिक लेन–देन, ऋण का निर्धारित अवधि में 100 प्रतिशत पुनर्भुगतान करने के साथ–साथ समूह स्थायी रूप से आयजनक गतिविधियों में संलग्न होकर उनके 60% सदस्यों की आय कम से कम 1100 रू/– प्रतिमाह होनी चाहिये।

अब तक कुल 130 गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से 1300 स्वयं सहायता समूहों को योजना से जोडा जा चुका है।

वर्ष 2011–12 एवं 12–13 में उपलब्ध बजट रुपये 110.00 लाख में से 104.05 लाख रुपये का व्यय हुआ है तथा वर्ष 2013–14 अन्तर्गत प्रस्ताव अनुमोदन हेतु लेखा शाखा में प्रक्रियाधीन हैं।

अमृता स्वयं सहायता समूह पुरस्कार योजना–

राज्य स्तर पर एक सर्वश्रेष्ठ महिला स्वयं सहायता समूह एवं इस क्षेत्र में कार्य करने वाले एक सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवी संगठन को क्रमशः 50000 एवं 20000 रू के अमृता स्वयं सहायता समूह पुरस्कार दिये जाते है। इस हेतु राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाई जाकर प्रस्ताव मंगवाये जाते है तथा प्राप्त प्रस्तावों का निदेशालय स्तर पर परीक्षण किया जाकर राज्य स्तरीय समिति द्वारा पात्र स्वयं सहायता समूह एवं गैर सरकारी संगठन का अमृता पुरस्कार हेतु चयन किया जाता है।

वर्षवार प्रगति निम्नानुसार है–

क्र.सं.	वर्ष	पुरस्कृत	समूह/संस्था का नाम
1.	2009–10	महिला स्वयं सहायता समूह	धन वर्षा स्वयं सहायता समूह ग्राम गोदियाना, पं.स. सिलोरा, जिला अजमेर
		गैर सरकारी संगठन	लूपिन ह्यूमन वेलफेश्र एण्ड रिसर्च फाउंडेशन, 160 कृष्णा नगर, भरतपुर
2.	2010–11	महिला स्वयं सहायता समूह	गणगौर स्वयं सहायता समूह, पालड़ीसिद्धा, भोपालगढ़, जोधपुर
		गैर सरकारी संगठन	उरमूल ग्रामीण स्वास्थ्य शोध एवं विकास न्यास, बीकानेर
3.	2011–12	महिला स्वयं सहायता समूह	ओमगुरू स्वयं सहायता समूह पाली शहर, पाली
		गैर सरकारी संगठन	किसी भी गैर सरकारी संगठन को पुरस्कार नहीं दिया गया
4.	2012–13	महिला स्वयं सहायता समूह	जुड़ाव स्वयं सहायता समूह, लक्ष्मनगढ़, सीकर
		गैर सरकारी संगठन	कट्स मानव विकास केन्द्र, सेंती (रावला चौंक), जिला–चित्तौडगढ़

महिला स्वयं सहायता समूहों को राशन की दुकान आवंटन–

महिला स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार प्रदान करने हेतु वर्ष 2009–10 में प्रत्येक जिले में 10 स्वयं सहायता समूहों को उचित मूल्य की दूकानों का आवंटन करने की योजना प्रारंभ की गयी। चूंकि महिला SHG सदस्य स्थानीय क्षेत्र के निवासी होते हैं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त लाभार्थियों के बारे में व्यक्तिशः जानकारी रखते है। अतः यदि वे SHG उचित मूल्य की दुकान का संचालन करते है तो सुचारू रूप से सामग्री का वितरण कर सकते है। इससे महिला स्वंय सहायता समूहों को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार से जोडा जा रहा हैं। विभाग द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों को दुकान आवंटन होने पर योजनान्तर्गत दुकान प्रारंभ करने हेतु प्रारंभिक पूंजी के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्रति SHG रू 75000/– का एकमुश्त अनुदान दिया जाता है।

योजनान्तर्गत अब तक 93 स्वयं सहायता समूहों को उचित मूल्य की दुकानें आवंटित की जा चुकी हैं तथा 60 स्वयं सहायता समूहों को प्रति SHG रू 75000/– का एकमुश्त अनुदान दिया जा चुका है। 8 स्वयं सहायता समूहों को एकमुश्त अनुदान दिए जाने हेतु मांग प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् भुगतान हेतु प्रक्रियाधीन है। शेष 25 स्वयं सहायता समूहों को एकमुश्त अनुदान दिए जाने हेतु मांग प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।